


23.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई
कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रार्थी व प्रार्थी
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज
लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन
उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के
उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी
अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील
दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

